कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

विलोपित विलोपित विलोपित

(62)

:श्रीः

न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र0क0— /2017—18 निगरानी 2112
PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा/2018/

भारतीय गणराज्य द्वारा सहा. मण्डल अभियंता उत्तर मध्य रेल, कार्यालय लोको के सामने तानसेन रोड, ग्वालियर

.......प्रार्थी

बनाम

नगर पालिक निगम ग्वा. द्वारा आयुक्त नगर पालिक निगम, ग्वालियर म.प्र.

.....प्रतिप्रार्थी

श्री के. एल. गुप्ता एड. द्वारा आज दि. 02/04/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक ~~05/04/18~~ 10-4-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 2-4-18

(K.L. Gupta) 245/84 2/4/18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध अंतरिम आदेश दिनांक 05–03–2018 न्यायालय आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग जिला, ग्वालियर के प्र0क0 392/2017–18/अपील आयुक्त भारतीय गणराज्य बनाम नगर पालिक निगम में पीठासीन अधिकारी श्री बी.एम. शर्मा द्वारा पारित।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भूरा/2018/2112

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-4-18	आवेदक अधिवक्ता के0एल0गुप्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-3-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय माना है । आवेदक द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रश्नाधीन भूमि को रेल्वे विभाग के स्वत्व की प्रमाणित हो । अत: सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में नहीं होने से आयुक्त द्वारा स्थगन नहीं दिया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। प्रकरण में स्थगन देना अथवा नहीं देना प्रकरण की परिस्थिति एवं पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	